भांडागारण विकास तथा विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) को सहायता

भारत सरकार ने भांडागारण (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) को लागू करके देश में निगोशिएबल वेअरहाउसिंग रसीद प्रणाली की शुरूआत की है जिसे दिनांक 25 अक्तूबर, 2010 से प्रभावी कर दिया गया है। निगोशिएबल वेअरहाउस रसीद (एनडब्ल्यूआर) प्रणाली औपचारिक रूप से दिनांक 26 अप्रैल, 2011 से प्रारंभ की गई थी।

भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 का मुख्य उद्देश्य भांडागारों के विकास एवं विनियमन, वेअरहाउस रसीदों की निगोशिएबिलिटी, भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण की स्थापना तथा इससे संबंधितों मामलों के लिए प्रावधान तैयार करना है। इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी निगोशिएबल वेअरहाउस रसीदों से किसानों को निगोशिएबल वेअरहाउस रसीदों पर ऋण लेने में सहायता मिलेगी तथा कृषि उपज की मजबूरी में बिक्री को रोका जा सकेगा। यह कई हितधारकों जैसे बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, बीमा कंपनियों, व्यापार जगत, कमॉडिटी एक्सचेंजों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के लिए भी लाभदायक होगा।

(करोड़ रुपए में)

वित्त वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2012-13	6.00	6.00	5.73
2013-14	6.32	4.6356	3.55
2014-15	8.00	13.81	13.81
2015-16	30.00	15.00	3.00 (जनवरी, 2016 तक)